आदेश की सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई का[rest cut off] के बारे में टिप्पणी अ[rest cut off] तारीख
31.05.2018		

न्यायालय जिला पदाधिकारी, पूर्णिया

सेवा अपील वाद संख्या-17/2017

1. अंशु प्रिया, पति-सुमित कुमार मोदी, सा0-गुदरी बाजार, कसबा, थाना-कसबा, जिला-पूर्णिया।

.... अपीलार्थी

बनाम

1. जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया।
2. बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कसबा।
3. महिला पर्यवेक्षिका, कसबा।

.... विपक्षीगण

आ दे श

प्रस्तुत अपील वाद **जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया** के **ज्ञापांक-1277/जि0प्रो0, दिनांक-13.10.2017** के विरूद्ध दायर किया गया है। यह मामला **आंगनबाड़ी केन्द सं0-134, परियोजना-कसबा** के **सेविका** पद से संबंधित है।

अपीलार्थी द्वारा समर्पित अपील आवेदन का अवलोकन किया। उनका मुख्य रूप से कथन है कि केन्द्र संचालन में अनियमितता एवं पोशाक राशि के गबन के आरोप में उन्हें चयनमुक्त किया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि पोशाक राशि हेतु उन्हें 10,000.00 रूपये प्राप्त कराया गया था, जिसके विरूद्ध 250.00 रूपये प्रति बच्चे की दर से 40 बच्चों के बीच राशि वितरण कर बाल विकास परियोजना कार्यालय, कसबा में अभिश्रव जमा कर दिया गया था। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कसबा द्वारा किए गए जाँच में एक पक्षीय कार्रवाई की गई है। अपीलार्थी के द्वारा नियमित रूप से केन्द्र का संचालन किया जाता रहा है। परन्तु गलत आरोप लगाकर उन्हें चयनमुक्त कर दिया गया, जो विधि सम्मत नहीं है। अतएव अपील आवेदन स्वीकृत किया जाय।

इस वाद में **जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया** के पत्रांक 1750/जि0प्रो0 दिनांक 12.12.17 द्वारा मंतव्य प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जाँच के क्रम में यह परिलक्षित हुआ कि अपीलार्थी द्वारा पोशाक राशि का वितरण शत-प्रतिशत नहीं किया

गया है। महिला पर्यवेक्षिका के जाँच प्रतिवेदन में मात्र 15 बच्चों को पोशाक राशि वितरण करने का तथ्य पाया गया। अपीलार्थी पर यह आरोप भी जाँचोपरांत पाया गया कि उनके द्वारा उपस्थिति पंजी में लाभुक बच्चों के स्थान पर फर्जी नाम दर्ज कर सरकारी राशि का गबन किया गया है।

अपीलार्थी का अपील आवेदन तथा प्राप्त मंतव्य प्रतिवेदन के अवलोकन से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि केन्द्र संचालन में विभिन्न प्रकार के अनिमितता बरते जाने के आरोप में जाँचोपरांत उन्हें चयनमुक्त किया गया है। अपीलार्थी द्वारा इस बिन्दु पर न्यायालय अंतर्गत साक्ष्य सहित कोई तथ्यात्मक प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

अतः जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया के आदेश ज्ञापांक 1277/जि0प्रो0 दिनांक 03.10.17 में पारित आदेश को यथावत रखते हुए अपीलार्थी का अपील आवेदन खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कसबा एवं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया को भेजें।

इसी के साथ अपील वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

जिला पदाधिकारी,
पूर्णिया।

जिला पदाधिकारी,
पूर्णिया।